

FAX

**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAVAN: NEW DELHI-1**

F.No.ADMN/7/ 11 /2017-WS

Dated the 25 Jan., 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Workshop on Right to Information Act-2005 for Central Public Information Officers to be conducted by ISTM, New Delhi from 13.03.2017 to 14.03.2017.

Institute of Secretariat Training & Management, New Delhi has invited nominations for **Workshop on Right to Information Act-2005 for Central Public Information Officers to be conducted by ISTM, New Delhi from 13.03.2017 to 14.03.2017.** The aim of the Workshop is to equip the participants with knowledge and skills to handle the job of CPIOs and help the Departments in implementing the provisions of the Right to Information Act, 2005. The details of Programme are as under:-


Objective of the Course:

- Describe the purpose and concept of Right to Information
- Explain the salient features of Act and possible implications
- Describe the process of seeking and providing information
- Explain exemptions prescribed
- Explain procedure of appeals and penalties.
- Describe Responsibilities of Public Authorities
- Explain strategy for operationalizing Right to Information

Eligibility: CPIOs designated by the Council/Institute.

The Officers, who are desirous to attend the said workshop may send their nomination in the prescribed nomination form through proper channel latest by **03.02.2017** for onward transmission to ISTM, New Delhi. **The Nomination Form may be downloaded from ICAR website under Col. Circular / Work Study Section/Revised Nomination Form for ISTM training programme. The nomination may not be sent directly to ISTM until it is approved by the Council.**

The Officers who have already attended this training/workshop need not apply. The applicants will not be allowed to withdraw their nominations after acceptance by ISTM, New Delhi.


(Suparna Dasgupta)
Under Secretary(WS)
Fax No.233872930649
E-mail ID: suparna.icar@nic.in

Distribution:

1. All CPIO of ICAR Hqrs, at KB./KAB-I&II/NASC through ICAR website.
2. All the Directors of ICAR Institutes/NRCs / PDs/Bureaux through website.
3. ISO, DKMA, KAB for uploading the same on the ICAR website.
4. Guard File

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001

फा0सं0 ए-7/11/2017- का0अ0

दिनांक 25 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए दिनांक 13.03.2017 से 14.03.2017 तक सूचना अधिकार अधिनियम-2005 पर दो दिन की कार्यशाला।

सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 13-14 मार्च, 2017 तक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार अधिनियम-2005 पर चलाई जा रही कार्यशाला के लिए नामांकन आमंत्रित किये हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के कार्य के संचालन हेतु ज्ञान एवं दक्षता के साथ प्रतिभागियों को कार्य करने के लिए तैयार करना है तथा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के कार्यान्वयन करने में विभागों की मदद करना है। कार्यक्रम का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

पाठ्यक्रम का उद्देश्य:-

- सूचना के अधिकार की संकल्पना और उद्देश्य का विवरण
- अधिनियम के प्रमुख लक्षणों और संभावित निहितार्थ का विवरण
- सूचना पाने और देने की प्रक्रिया की व्याख्या
- दिये गये अपवादों की व्याख्या
- अपील और पेनल्टी की प्रक्रिया की व्याख्या
- लोक अधिकारियों के दायित्वों का विवरण
- सूचना का अधिकार प्रचालीकरण हेतु नीति की व्याख्या
-

पात्रता:- परिषद/ संस्थान द्वारा पदनामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

वे अधिकारी जो इस कार्यशाला में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपने नामांकन प्रपत्र सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से परिषद को दिनांक **03.02.2017** तक भेज दें ताकि उसे सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली को अग्रेषित किया जा सके। नामांकन पत्र आईसीएआर वेबसाइट के (सर्कुलर/वर्कस्टडी/आईएसटीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संशोधित नामांकन पत्र) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

वे अधिकारी जो इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पहले ही भाग लिया है, वे इसके लिए पुनः आवेदन न करें। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा नामांकन स्वीकारोक्ति के पश्चात आवेदक को अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

ह0/-

(सुपर्णा दासगुप्ता)

अवर सचिव (का0अ0)

वितरण

1. भा.कृ.अ.प. मुख्यालय, कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन 1 व 2 तथा एनएएससी स्थित समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी केवल वेबसाइट के द्वारा परिचारित किया जाए।
2. भा.कृ.अ.प. के समस्त संस्थानों /रा.अ.के./प.नि./ब्यूरो के निदेशक।
3. आई.एस.ओ. डीकेएमए, कृ.अ.प.- 1 व 2 पूसा, नई दिल्ली को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।